

## विवरण 18

राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को संसाधनों का अंतरण  
(केंद्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों के राज्य के हिस्से को छोड़कर)

(₹ करोड़)

व्यय की मर्दें	2017-2018 वास्तविक	2018-2019 बजट अनुमान	2018-2019 संशोधित अनुमान	2019-2020 बजट अनुमान
<b>I. अंतरण की कुछ महत्वपूर्ण मर्दें</b>	<b>37235.69</b>	<b>54482.00</b>	<b>55558.46</b>	<b>54580.81</b>
क एनडीआरएफ से राज्यों को सहायता	4722.53	10000.00	10000.00	10000.00
ख उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लिए केंद्रीय पूल संसाधन	701.90	692.00	657.40	392.00
ग बाह्य सहायता वाली परियोजनाएं-अनुदान	2999.60	4500.00	3500.00	4500.00
घ बाह्य सहायता वाली परियोजनाएं-ऋण	17499.95	20000.00	23800.84	19723.28
ङ उत्तर पूर्वी परिषद की योजनाएं	772.43	524.00	421.72	325.77
च संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत योजनाएं	1509.40	1545.00	1565.00	2320.75
छ मांग के अनुसार विशेष सहायता - राज्यों को हस्तांतरण	6950.50	15000.00	13500.00	15000.00
ज मांग के तहत अनुसूचित जातियों को विशेष केंद्रीय सहायता - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	731.38	976.00	876.00	1074.00
झ मांग के तहत जनजाति क्षेत्र को विशेष केंद्रीय सहायता - जनजातीय कार्य मंत्रालय	1348.00	1245.00	1237.50	1245.01
<b>II. वित्त आयोग की अनुदानें</b>	<b>92244.47</b>	<b>109373.50</b>	<b>106128.78</b>	<b>120466.22</b>
क स्थानीय निकायों के लिए अनुदान- ग्रामीण निकाय	34448.30	45069.18	42815.18	52557.60
ख स्थानीय शहरी निकायों के लिए अनुदान	12594.37	19870.19	18879.47	23358.77
ग एनडीआरएफ के लिए सहायता अनुदान	9382.80	9852.13	9852.13	10343.85
घ अंतरण के पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान	35819.00	34582.00	34582.00	34206.00
<b>III. राज्यों को अंतरण [(I)+(II) से इतर]</b>	<b>278811.54</b>	<b>310992.91</b>	<b>315132.31</b>	<b>335219.94</b>
क केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के तहत (राजस्व) <sup>^</sup>	262043.42	277759.85	277413.57	292002.57
ख केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के तहत (राजस्व) <sup>^</sup>	15963.50	32186.36	36636.96	42075.51
ग व्यय की अन्य श्रेणियों के तहत (राजस्व) <sup>^</sup>	788.40	898.04	934.02	1032.90
घ पूंजीगत अंतरण	16.22	148.66	147.76	108.96
<b>IV. दिल्ली और पुडुच्चेरी को अंतरण</b>	<b>3831.82</b>	<b>6499.95</b>	<b>8310.22</b>	<b>10028.22</b>
क केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के तहत (राजस्व) <sup>^</sup>	1016.07	1643.24	1336.12	2025.80
ख केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के तहत (राजस्व) <sup>^</sup>	70.45	86.70	77.20	89.41
ग व्यय की अन्य श्रेणियों के तहत (राजस्व) <sup>^</sup>	2673.30	4770.01	6767.29	7613.00
घ पूंजीगत अंतरण	72.00	...	129.61	300.01
<b>कुल जोड़</b>	<b>412123.52</b>	<b>481348.36</b>	<b>485129.77</b>	<b>520295.19</b>

यह विवरण राज्यों से संबंधित प्रमुख शीर्षों और राज्यों को अंतरण के संदर्भ में राजस्व व्यय खंड के तहत कतिपय कार्यात्मक प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत किए गए आवंटन को दर्शाता है।

<sup>^</sup> पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए किए गए प्रावधान भी शामिल हैं।